FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना दक्षिण दिनाँक 10.02.2026 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 20-11-2025 को वादी के पुत्र का अपहरण कर हत्या कर देने एवं वादी के पुत्र की ईको गाड़ी लूट लेने के सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1288/2025 में जिला कारागार में निरुद्ध लुटेरे अभियुक्त मनीष को (मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में) पीसीआर पर लिया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर लूटी गयी ईको गाडी UP-79-AF-8387 को किया गया बरामद।

दिनांक 20/11/2025 को वादी वाजिद अली पुत्र स्व0 छोटे निवासी मौ0 भटपुरा एरवा कटरा जनपद औरैया की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के पुत्र सलमान अली का मय गाडी ईको नम्बर यूपी 79 एएफ 8387 के साथ अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर मु0अ0सं0 1288/2025 धारा 140(1) बीएनएस0 बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना के दौरान 04 अभियुक्तगण 1.मनीष पुत्र राम नरायन निवासी निलोई थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा, 2.राजकुमार पुत्र सोबरन सिंह उर्फ सोरन सिंह निवासी खोंडा थाना सहपऊ जनपद हाथरस, 3.अभिषेक पुत्र दशरथ सिंह निवासी ग्राम हरदोई थाना सैफई जनपद इटावा, व 4.रामवीर उर्फ वीरा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी हरदोई थाना सैफई जनपद इटावा का नाम प्रकाश में आया। थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 24-12-2026 को अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 27-12-2026 को अभियुक्त रामवीर उर्फ वीरा उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम चारो अभियुक्तों द्वारा मुकदमा वादी के पुत्र सलमान अली का ईको गाडी लूटने के उद्देश्य से अपरहण किया गया था तथा ईको गाडी लूट कर सलमान अली की सिरसागंज थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गयी। पूछताछ, साक्ष्य संकलन एवं डीएनए परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)3(5),103(1), 238(क) बीएनएस0 की बढोत्तरी की गयी। थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही एवं अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दी जा रही प्रभावी दबिश के कारण भय से अभियुक्त मनीष उपरोक्त व अभियुक्त अभिषेक द्वारा क्रमशः मा0 न्यायालय जनपद इटावा व मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद में आत्मसमर्पण किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशों के क्रम में मु0अ0सं0 1288/25 में लूटी गयी गाडी ईको यूपी-79-एएफ-8387 की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 10-02-2026 को मा0 न्यायालय से अभियुक्त मनीष पुत्र राम नरायन निवासी निलोई थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा की पीसीआर की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त मनीष की निशांदेही से सम्बन्धित मु0अ0सं0-1288/2025 धारा 140(1), 309(4), 3(5), 103(1), 283(क) बीएनएस0 में लूटी गयी गाडी ईको नम्बर यूपी-79-एएफ-8387 को पैमेश्वर गेट बरी चौराहा की तरफ जंगल से बरामद किया गया है। अभियुक्त की निशांदेही से ईको गाडी की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1288/25 में धारा 317(2) बीएनएस0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त मनीष को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम व पता पीसीआर में लाए अभियुक्त-

1.मनीष पुत्र राम नरायन निवासी निलोई थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा।

अभियुक्त मनीष पुत्र राम नरायन की निशांदेही से बरामदगी का विवऱण-

1. मु0अ0सं0 1288/2025 से सम्बन्धित लूटी गयी ईको गाड़ी नम्बर UP- 79-AF-8387 रंग स्लेटी।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 योगेन्द्र पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 सिंहराज सिह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
3. कां0 1082 अमित कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
4. कां0 487 बलराम थाना दक्षिण जपनपद फिरोजाबाद।